

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक D/3816 /
दो-14-9/83 भाग-17

जबलपुर, दिनांक 18/06/2018

श्री दिनेश सेन, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मित्र आईटी हारा आयोजित सी.पी.सी.टी. परीक्षा 2018 में समिलित होने को अनुमति निम्नान्कित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगान से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की जड़हेलना करते हैं तो वह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन दर्जों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(मो. कहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक D/3817 /

जबलपुर, दिनांक 18/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री दिनेश सेन, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, मप्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्वेषित।

12-6-18
(सतीश चन्द्र राघव)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Registrar (Administration),
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur